संख्या-144 /2026/554/41-2-2026-CN-**1956294**

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ :: दिनांक 16 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-24-मा० कांशीराम, पर्यटन प्रबन्ध संस्थान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-493055/2-9(**MKITM**)/सीएन-111149/का0/2025, दिनांक 05.03.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-24-मा० कांशीराम, पर्यटन प्रबन्ध संस्थान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0 55.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 27.50 लाख को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-24-मा० कांशीराम, पर्यटन प्रबन्ध संस्थान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0 55.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 27.50 लाख (रूपये सत्ताइस लाख पचास हजार मात्र) को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनॉक 12.08.2025 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय का होगा।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है । ।

http://shasanadesh.up.gov.in

औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 27,50,000.00 (रूपये सत्ताइस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखाशीर्ष 3452808002400-मा० कांशीराम, पर्यटन प्रबन्ध संस्थान के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-7-233/दस-2025-26, दिनांक 16.03.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव::</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0 प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (कार्मिक), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।